

**न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैतूल, जिला-बैतूल (म.प्र.)**

**(समक्ष-विजयश्री राठौर)**

व्य.वाद प्र. क्रमांक 84 'ए' / 2018

संस्थापन दिनांक :-27.03.2018

1. श्रीमती आशा बाई बेवा—श्री लक्ष्मणराव दंवडे, आयु-60 वर्ष,
2. श्रीमती अनिता बाई पुत्री लक्ष्मणराव दंवडे, आयु-42 वर्ष,
3. श्रीमती मनीषा पुत्री—श्री लक्ष्मणराव दंवडे, आयु-39 वर्ष,
4. श्रीमती कविता पुत्री—श्री लक्ष्मणराव दंवडे, आयु-35 वर्ष,
5. आशीष पिता—श्री लक्ष्मणराव दंवडे, आयु-31 वर्ष,  
समस्त निवासी—टिकारी बैतूल, थाना—बैतूल,  
तहसील व जिला—बैतूल म0प्र0।

**—वादीगण / आवेदकगण**

**विरुद्ध**

1. राजेन्द्र दंवडे वल्द—श्री शेषराव दंवडे, आयु-62 वर्ष,  
निवासी—पुरानी एफ टाईप सारणी,  
तहसील—घोडाडोंगरी, जिला—बैतूल म0प्र0
2. दिनेश दंवडे पति—श्री शेषराव दंवडे, आयु-53 वर्ष,  
निवासी—कृष्णपुरा टिकारी बैतूल,  
तहसील व जिला—बैतूल म0प्र0
3. कृष्णराव दंवडे पति—श्री शेषराव दंवडे, आयु-57 वर्ष,  
निवासी—कृष्णपुरा टिकारी बैतूल,  
तहसील व जिला—बैतूल म0प्र0
4. श्रीमती कमला बर्डे पति—श्री मोरेश्वरराव, पुत्री—श्री शेषराव दंवडे,  
निवासी—कृष्णपुरा टिकारी बैतूल,  
तहसील व जिला—बैतूल म0प्र0
5. श्रीमती विमला वाघमारे बेवा—स्व0 श्री मानिकराव, पुत्री—श्री शेषराव दंवडे,  
निवासी—जीनढाना, जीन, तहसील चिचोली, जिला बैतूल म0प्र0।

6. श्रीमती गीताबाई पत्नी सुनील घोटे, पुत्री—श्री शेषराव दंवडे,  
निवासी—न्यू पलासिया, उज्जैन नाका के पास इंदौर,  
तहसील व जिला—इंदौर म0प्र0
7. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर बैतूल,  
तहसील व जिला—बैतूल म0प्र0

—प्रतिवादी/अनावेदक

वादी द्वारा	: श्री नवनीत सोनी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2	: श्री अशोक वर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क्रमांक—3	: स्वयं उपस्थित।

### ॥ आदेश ॥

(आज दिनांक : 25 अप्रैल, 2018 को पारित किया गया)

1— इस आदेश के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0प्र0सी0 आई.ए.नं. 1 का निराकरण किया जा रहा है।

2— आवेदन में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि मूल पुरुष स्व0 शेषराव के दंवडे की पत्नी स्व0 जयाबाई थी। वादी क्रमांक—1 आशाबाई स्व0 लक्ष्मणराव की पत्नी है। लक्ष्मणराव तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायात 7 आपस में भाई बहन है।

3— आवेदन संक्षिप्त: इस प्रकार है कि मूलपुरुष स्वर्गीय शेषराव दंवडे द्वारा स्वअर्जित आय से एक भूखण्ड आबादी क्षेत्र टिकारी, बैतूल में खसरा नंबर 665/2, 666/2, कुल रकबा कमश 0.028 हे0 (जिसे आवेदन के पश्चात्पूर्वी प्रक्रम पर वादग्रस्त भूखण्ड से संबोधित किया जावेगा ) अपनी पत्नी स्व0 जयाबाई के नाम से क्रय किया था। उपरोक्त भूखण्ड पर कच्चा मकान निर्मित एवं रिक्त भूमि भी है। वादी क्रमांक—1 के पति एवं प्रतिवादी क्रमांक—2 से 4 के पिता लक्ष्मणराव दंवडे की मृत्यु दिनांक 12.03.201 को तथा जयाबाई की मृत्यु दिनांक 29.02.2016 को होने के पश्चात् वादीग्रस्त भूखण्ड पर अपना नाम दर्ज कराने हेतु वादीगण द्वारा तहसीलदार बैतूल के समक्ष फौती नामांतरण का एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा प्रतिवादी क्रमांक—1 ने भी स्व0 जयाबाई द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 21.11.2012 के आधार पर अपना नाम दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार, बैतूल के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था। तहसीलदार द्वारा उपरोक्त दोनो आवेदन की सुनवाई एक साथ कर दिनांक 06.10.2017 को अंतिम दूषित आदेश पारित किया

गया था, जिसमें वादीगण का आवेदन निरस्त कर वसीयत के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 पर का नाम दर्ज किए जाने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध वादीगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 अनुपस्थित रहने के कारण वादीगण की अपील निरस्त कर दी गयी। वादीगण का वादग्रस्त भूखण्ड पर 1/7 अंश है। प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 द्वारा स्व जयाबाई की बीमारी एवं असमर्थता का लाभ उठाकर तथा राजस्व अधिकारियों से साठगाठ कर एक फर्जी विवादित वसीयत दिनांक 21.11.2012 को तैयार करवाई, जो कि पूर्णतः अवैध व शून्य है। प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 द्वारा विवादित वसीयत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी बैतूल का आदेश होने के कारण उनके द्वारा दाविया भूखण्ड पर उनका नाम दर्ज करावा लिया है तथा वे वादग्रस्त भूखण्ड को विक्रय करने हेतु प्रयासरत है। यदि वादग्रस्त भूखण्ड को विक्रय किया जाता है तो वादीगण को अपूर्णक्षति कारित होगी एवं विवाद की बाहुल्यता बढ़ेगी। अतः वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 के विरुद्ध वादग्रस्त भूखण्ड स्वयं अथवा अन्य किसी के माध्यम से विक्रय ना करने संबंधित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

4— प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 द्वारा उत्तर प्रस्तुत कर आवेदन में वर्णित समस्त तथ्यों को अस्वीकार कर अभिवचन किया है कि वादग्रस्त भूखण्ड जयाबाई द्वारा अपने स्त्रीधन से तथा अपने पिता से सहायता प्राप्त होने पर अपने स्वयं के नाम पर विक्रय की है। वादी को उसके ससुर ने अपने जीवनकाल में अन्य मकान बनाकर दिया था, जिस पर वह अपनी पुत्री के साथ निवासरत है। राजस्व न्यायालय द्वारा विधिवत सभी पक्षों को सुनवाई कर वसीयत प्रमाणित पाई थी तथा उक्त आधार पर राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज है। प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 जयाबाई की सम्पूर्ण देखरेख व सेवाचाकरी करते थे तथा विवादित वसीयत होश हवाश में गवाहों के समक्ष पूर्ण स्वस्थरूप में उपपंजीयक बैतूल के समक्ष पंजीकृत कराई गई थी। वर्तमान में वह वादग्रस्त मकान में निवासरत है। अतः आवेदन आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5— प्रतिवादी क्रमांक-3 द्वारा आवेदन में वर्णित समस्त तथ्यों को स्वीकार कर कथन किया गया है कि उनकी माता स्व० जयाबाई 85 वर्ष की वृद्ध महिला थी, जिनकी आँखों में दिखता नहीं था, कानों में कम सुनाई आता था, स्वयं चलने फिरने में असमर्थ थी तथा वर्ष 2012 से अत्यधिक बीमार रहने लगी थी एवं सूदबूध खो चुकी थी, जिनकी देखरेख लक्ष्मणराव दंडवे करते थे। वादग्रस्त भूखण्ड पर समस्त वारसानों का बराबर-बराबर हक तथा अधिकार है।

6— अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करने हेतु न्यायालय द्वारा प्रमुखतः निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है :-

- अ) क्या प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में है ?
- ब) क्या अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त वादी के पक्ष में है?
- स) क्या सुविधा का संतुलन का सिद्धान्त वादी के पक्ष में है?

**~सकारण निष्कर्ष~**

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1**

7— सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथमदृष्टया वाद वादी के पक्ष में हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये आवेदक का प्रथमदृष्टया मामला ऐसा स्थापित होना चाहिए जिसमें जांच के लिए एक विचारणीय प्रश्न निहित हो जो साक्ष्य को लेकर ही तय हो सकता है और उसमें आवेदक के विजयी होने की प्रबल संभावना हो।

8— वादी द्वारा अपने समर्थन में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बैतूल के आदेश दिनांक 05.02.2018 की प्रति, श्रीमान तहसीलदार महोदय बैतूल का आदेश दिनांक 06.10.2017 की प्रति, खसरा किस्तबंदी दिनांक 2016-17 की प्रति, तहसीलदार बैतूल को दिया गया फौती के आधार नामांतरण आवेदन आशाबाई का दिनांक 22.11.2016 का असल, तहसीलदार बैतूल को दिया गया वसीयतनामा के आधार नामांतरण आवेदन राजेन्द्र दंवडे का दिनांक 10.08.2016 प्रति, तहसीलदार बैतूल के समक्ष प्रस्तुत जवाब आशाबाई की ओर से दिनांक 26.12.2016 का असल, राजेन्द्र दंवडे के तहसीलदार के समक्ष कथन की प्रति, दिनेश दंवडे के तहसीलदार के समक्ष के कथन की प्रति, राजेन्द्र माकोडे के तहसीलदार के समक्ष कथन की प्रति, वामनराव अडलक के तहसीलदार के समक्ष कथन की प्रति, राजेन्द्र दंवडे का प्रतिपरीक्षण दिनांक 07.06.2017 की प्रति, वसीयतनामा दिनांक 21.11.2012 की नकल, श्रीमती जयाबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, आशाबाई द्वारा थाना बैतूल को दिया शिकायत आवेदन की प्रति, आशाबाई द्वारा थाना बैतूल को दिया गया शिकायत आवेदन की प्रति, आशाबाई द्वारा तहसीलदार बैतूल को दिया गया शिकायत आवेदन की प्रति, एवं आवेदन के समर्थन में अपने शपथ पत्र दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

9— वादीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त भूखण्ड मूल पुरुष स्व० शेषराव दंवडे द्वारा अपनी पत्नी स्व० जयाबाई के नाम पर कय की गई थी। जयाबाई एवं लक्ष्मणराव की मृत्यु के पश्चात् वादीगण उनके वारसान होने से उक्त भूखण्ड पर उसका 1/7 अंश है। वादी की ओर से उक्त समर्थन में जया बाई एवं लक्ष्मणराव दंवडे का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादीगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 द्वारा स्व जयाबाई की बीमारी एवं असमर्थता का लाभ उठाकर तथा राजस्व अधिकारियों से साठगाठ कर एक



फर्जी विवादित वसीयत दिनांक 21.11.2012 को तैयार करवाई, जो कि पूर्णतः अवैध व शून्य है। वादी की ओर से प्रस्तुत वर्ष 2016-17 का खसरा एवं किस्तबंदी खतौनी के अवलोकन से दर्शित है कि ग्राम टिकारी बैतूल स्थित खसरा नंबर 665/2 एवं 666/2 जयाबाई विघवा शेषराव के नाम से कब्जेदार के नाम से तथा भूमिस्वामी के रूप में दर्ज थी। वादी की ओर से प्रस्तुत तहसीलदार बैतूल के दिया गया फौती के आधार पर दिया गया नामांतरण के अवलोकन से दर्शित है कि वादीगण द्वारा अपनी दादी जया बाई की मृत्यु एवं उनके पिता लक्ष्मणराव की मृत्यु होने से वारसान हक में फौती के आधार पर वादी क्रमांक-1 आशाबाई, अनिता, मनीषा, कविता, आशीष आदि का नाम वादग्रस्त भूखण्ड पर दर्ज कराने हेतु तहसीलदार बैतूल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। वादी की ओर से प्रस्तुत प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा तहसीलदार बैतूल को दिये गये आवेदन एवं उक्त संबंध में वादी के द्वारा किया गया जवाब के अवलोकन से दर्शित है कि विवादित वसीयत दिनांक 21.11.2012 के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक-1 ने नामांतरण कराने हेतु तहसीलदार बैतूल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके विरुद्ध वादी स्वयं का वारसान हक होने के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। वादी की ओर से प्रस्तुत तहसीलदार बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से दर्शित है कि तहसीलदार बैतूल द्वारा वसीयत दिनांक 21.11.2012 को प्रमाणित पाते हुये वादग्रस्त भूखण्ड पर प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 का नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था, जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी बैतूल द्वारा निरस्त की गई थी।

10— वादीगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 द्वारा विवादित वसीयत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी बैतूल का आदेश होने के कारण उनके द्वारा दाविया भूखण्ड पर उनका नाम दर्ज करावा लिया है तथा वे वादग्रस्त भूखण्ड को विक्रय करने हेतु प्रयासरत है। **विधि के अधीन यह उपधारणा है कि पदीय कार्य हमेशा विनियमित रूप से किये गये है।** राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित किये गये आदेश के संबंध में प्रथमदृष्टया यह उपधारणा है की जाती है कि तहसीलदार, बैतूल द्वारा पारित ओदश दिनांक 06.10.2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2018 विधि के सम्यक प्रक्रिया के अनुरूप पारित किये गये है। राजस्व अधिकारीगण द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश किस प्रकार विधि विरुद्ध होकर साठगाठ के आधार पर पारित किया गया है यह साक्ष्य का विषय जिसे गुण-दोष के आधार पर प्रक्रम के अंतिम निराकरण के समय पर ही निर्धारित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विवादित वसीयत दिनांक 21.11.2012 फर्जीरूप से निष्पादित की गई है या नहीं यह साक्ष्य का विषय है, जिसे गुण-दोष के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रक्रम पर इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। वादी द्वारा स्वयं अपने अभिवचनो एवं तर्क में स्वीकार किया है कि राजस्व न्यायालय में आदेशानुसार वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 वादग्रस्त भूखण्ड पर अपना नाम दर्ज करवा चूके

है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह उपधारणा की जाती है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूखण्ड का वैध आधिपत्य प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 को प्राप्त है।

11— वादग्रस्त वादग्रस्त भूखण्ड पर प्रथमदृष्टया वैध आधिपत्य वादी का होना नहीं है दर्शित है। ऐसी दशा में वादीगण के आधिपत्य को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों एवं अभिलेख पर विद्यमान दस्तावेजों के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

### **विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2**

12— अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य है कि ऐसी क्षति जो अवैध कृत का परिणाम हो तथा जिसे धन से नहीं तौल जा सकता हो। जहाँ वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य होना प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं है ऐसी स्थिति में वादी को विधि के अनुरूप की गई नामांतरण कार्यवाही के परिणाम स्वरूप अपूर्णीय क्षति कारित होना परिलक्षित नहीं है।

13— वादी के अधिवक्ता का तर्क है कि यदि वादग्रस्त भूखण्ड को विक्रय किया जाता है तो वादीगण को अपूर्णक्षति कारित होगी एवं विवाद की बाहुल्यता बढेगी। इस संबंध वादीगण द्वारा किसी अन्य को यदि वादग्रस्त भूखण्ड को विक्रय करने का प्रयास किया गया हो तो विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। मात्र संभावनाओं के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि वादी को धारा 52 सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन संरक्षण प्राप्त है, जिसके अनुसार वाद लम्बन के दौरान यदि कोई भी पक्षकार वाद की विषय वस्तु को अंतरित करता है तो जिस व्यक्ति के पक्ष में वाद की विषय वस्तु अंतरित की गई है वह न्यायालय की आदेश से बाध्य रहता है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु वादीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

### **विचारणीय बिन्दु क्रमांक-3**

14— निषेधाज्ञा देने या ना देने से किस पक्ष को तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा होगी यह देखना होता है, जिसे सुविधा का संतुलन कहते हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व एवं आधिपत्य वादी का होना प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं है, ऐसी स्थिति में यदि निषेधाज्ञा दी जाती है तो प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 को वादी से अधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

15— उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। अतः वादी

की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सि.प्र.सं., आई.ए.नं.1 निरस्त किया जाता है।

16— आवेदन पत्र के व्यय का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण पर किया जावेगा।

स्थान—बैतूल  
दिनांक—25 अप्रैल, 2018

(विजयश्री राठौर)  
प्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग-2,  
बैतूल, मध्यप्रदेश

केवल अवलोकनार्थ!  
शासकीय व न्यायालयीन  
उपयोग के लिए मात्र  
नहीं।

२१

अवलोकनार्थ!  
न्यायालयीन  
मात्र